



आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

पंजीकरण प्रमाणपत्र

दिनांक: 29/01/2010

(क्रमांक 70/93)

प्रेमांकूर सामाजिक संस्था, नाशिक रोड
4. माँ कुशपुजा अपार्टमेंट, के. जे. मेहता हायस्कूल रोड, नाशिक-रोड
(ट्रस्ट / संस्था का नाम)

ने, जैसा कि संगठन के दिनांक 15/01/2003 की ट्रस्ट डीड / ज्ञापन द्वारा उसका गठन किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए ए (1) के तहत पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म नं. 10 (ए) में दिनांक 07/07/2009 को एक आवेदन पत्र दाखिल किया है। अतः ट्रस्ट / संस्था का नाम आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर आयुक्त 1 कार्यालय में रखे गये ट्रस्ट / संस्था के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

- यह पंजीकरण दिनांक 01/04/2009 से प्रभावित करेगा।
- पंजीकरण सं. ना. / (पी आर ओ) / 12 ए ए / 2009-10/200 70/93 है।
- जैसा कि ट्रस्ट / संस्था द्वारा फार्म 10 (ए) में आवेदन पत्र विलंब से दाखिल किया है। पर्याप्त कारणों के अभाव में — माह / वर्ष के विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती।



5d/-
(एच. एस. आचार्य)
आयकर आयुक्त - I
नाशिक

स. ना. आ. आ. - I / तकनीकी / 12 ए ए (1) / 2009-10 / 4541
70/93

दिनांक: 29/01/2010

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1) आवेदक को उसके आवेदन पत्र दिनांक 07/07/2009 के संदर्भ में इस प्रमाणपत्र से ट्रस्ट को कोई भी दानदाता धारा 80 - जी के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होता है, उसके लिए धारा 80 - जी के अलग से दूसरा प्रमाणपत्र जरूरी है।
- 2) आयकर निर्धारण अधिकारी, ~~सर्कल~~ / वॉर्ड 1(1) नाशिक को इस उद्देश्य हेतु जो रजिस्टर बनाया गया है, उसमें इस ट्रस्ट / संस्था का नाम नोट कर लिया जाए। इसकी कर योग्यता या अन्य किसी बात की जांच - पड़ताल की जाए एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- 3) आयकर संयुक्त आयुक्त रेंज / 1 / 2 / 3 नाशिक / धुले

(अनिल जाधव)
आयकर अधिकारी
आयकर अधिकारी
(मु.) तकनीकी

कृते आयकर आयुक्त - I , नाशिक.



आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

No. NSK / CIT-I / 80-G (5) /

आदेश

दिनांक: 29/01/2010

(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी)

133/85

एतद् द्वारा

प्रेमांकुर सामाजिक संस्था

4. मा. कुम्भपुरा अपार्टमेंट, के. जे. मेहता हायस्कूल जवळ, नाशिक रोड - इस संस्था को उनके दिनांक 07/07/2009 के आवेदन पत्र के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी (5) के तहत पंजीकृत किया जाता है।

- तदनुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छूट मिलने का पात्र होगा।
- यह आदेश दिनांक 01/04/2009 से लागू रहेगा।



(एच. एस. आचार्य)
आयकर आयुक्त - I
नाशिक
आयकर आयुक्त - I
नाशिक

पृष्ठांकन क्रमांक

आयकर आयुक्त कार्यालय - I , नाशिक

ना. / (पीआरओ) / 80 - जी / 2009 - 200 / 4540
133/85

दिनांक 29/01/2010

प्रतिलिपियाँ प्रेषित:

- संयुक्त / अतिरिक्त आयकर आयुक्त रैंज - 9, नाशिक
 - कर निर्धारण अधिकारी, वॉर्ड - 9(9) नाशिक
 - उपरोक्त संस्था को, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी / मुख्य अधिकारी के मार्फत।
- कृपया पीछे दी हुई सूचनाओं का ध्यान रखें।

- 1) दानदाता को जारी की जानेवाली रसीदों में इस आदेश की संख्या और तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
- 2) ऐसी रसीद - बहियों का रख - रखाव सही ढंग से किया जाना चाहिए तथा एक विशिष्ट रसीद - बही रजिस्टर में उनके प्रयोग का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए।
- 3) जहाँ जरूरी हो, वहाँ न्यास धारा ८० (जी) (५) (१) (सी) के अनुसार प्रमाण पत्र रसीद के साथ देना चाहिए।
- 4) आय और व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- 5) यदि आगे नविनता की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ इस कार्यालय को फॉर्म नं. १० (जी) में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 1) आय और व्यय के हिसाब का विवरण और बैलेन्स शीट (पिछले तीन सालों का)।
- 2) जमा और ब्याज की अदायगी का विवरण, जहाँ ब्याज की रकम रु. २,५००/- से अधिक हो।
- 3) रु. ५,०००/- से अधिक दान देने वाले दानदाताओं का पूर्ण विवरण, पूर्ण पते के साथ दें।
- 4) संगठन के संविधान / ट्रस्ट डीड / ज्ञापन की एक प्रति, यदि उसमें कोई परिवर्तन हुए हों तो।
- 5) सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दें कि उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा १३ (१) के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं किया है, तथा संस्था धारा ११ व १२ के प्रावधानों की पात्र है।



(अविनाश जाधव)

आयकर अधिकारी

बोर्ड १(३) नाशिक

आयकर अधिकारी

(मु.) (स्था.) पी. आर. ओ.

कृते आयकर आयुक्त - I , नाशिक.